



# बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

## Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.

द्वितीय तल / Second Floor, खाद्य भवन / Khadya Bhawan, दरोगा प्रसाद राय पथ / Daroga Prasad Rai Path, रोड नं० / Road No-2, आर० ब्लॉक / R. Block, पटना / Patna - 800 001, दूरभाष / Phone :- 0612 -2506 109 /213 / 208, फैक्स नं० / Fax No :- 0612 - 2506 132, E-mail : mdbuidco@gmail.com, web: http://buidco.in

ISO 9001:2008, 14001:2004

### कार्यालय आदेश

संख्या - BUIDCO/-....., दिनांक 24/4/19

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प, ज्ञापांक-2690 दिनांक-16.05.18 एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना, ज्ञापांक-3092 दिनांक-15.11.18 के आलोक में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) में बिहार राज्य जल पर्षद के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों, बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के अभियंताओं का विलयन दिनांक-30.11.2018 के प्रभाव से किया गया है।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के कार्यों के बेहतर प्रबंधन एवं सुचारु संपादन हेतु तत्काल प्रभाव से आवश्यक अनुपालन एवं अगले अदेश तक निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं, जिनका अनुपालन सभी पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाय -

1. मुख्य अभियंता (आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण), (जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज), दक्षिण बिहार उपभाग, उत्तर बिहार उपभाग एवं दक्षिण बिहार उपभाग को निदेश दिया जाता है कि सारे जलापूर्ति (अमृत) परियोजनाओं के साथ-साथ क्रियान्वित किये जा रहे नमामि गंगे परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति तथा तकनीकी अनुमोदन के पश्चात् निविदा प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। क्रियान्वित किये जा रहे सभी परियोजनाओं अनुश्रवण करते हुए गुणवत्ता पूर्वक ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। समय-समय पर योजनाओं के अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। परियोजनाओं के प्लानिंग, डिजाईनिंग एवं टेन्डर एवं संवेदको के भुगतान से संबंधित सभी मामलो का निष्पादन अपने स्तर से ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।
2. मुख्य अभियंता (आधारभूत संरचना एवं परिवहन), दक्षिण बिहार उपभाग को निदेश दिया जाता है कि योजनाओं का तकनीकी स्वीकृति ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. मुख्य अभियंता (आधारभूत संरचना एवं परिवहन), उत्तर बिहार उपभाग को निदेश दिया जाता है कि सारे जलापूर्ति (अमृत) परियोजनाओं के तकनीकी स्वीकृति तथा तकनीकी अनुमोदन करना सुनिश्चित करेंगे। क्रियान्वित किये जा रहे सभी परियोजनाओं अनुश्रवण करते हुए गुणवत्ता पूर्वक ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज), (आधारभूत संरचना एवं परिवहन) एवं (प्रोक्योरमेन्ट एवं गुण-नियंत्रण) को निदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र के सभी परियोजनाओं के गुणवत्ता की जांच करेंगे तथा योजनाओं को गुणवत्तापूर्वक ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) को निदेश दिया जाता है कि यांत्रिक एवं विद्युतीय कार्यों के प्राक्कलन एवं अन्य तकनीकी कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (मुख्यालय) को निदेश दिया जाता है कि सभी नये योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाना, बीड डक्यूमेन्ट तैयार करना, ससमय निविदा का प्रकाशन एवं निस्तार करवाना सुनिश्चित करेंगे।
6. सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि क्रियान्वित जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज, बस स्टैंड योजनाओं को गुणवत्ता पूर्वक ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रबंध निदेशक,  
बुडको, पटना

ज्ञापांक-1703/

दिनांक-24/4/19

1. प्रतिलिपि : सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता एवं महाप्रबंधक (प्रशासन) एवं महाप्रबंधक (वित्त) तथा लेखा शाखा, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक कोषांग, बुडको को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रतिलिपि: प्रबंधक (सूचना तकनीकी), बुडको को सूचनार्थ एवं उक्त सारणी में वर्णित सभी अभियंताओं को ई-मेल के माध्यम से इस आदेश की प्रति को भेजने हेतु निदेश दिया जाता है।

प्रबंध निदेशक,  
बुडको, पटना